प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, ब्लॉक बी2, फेज–1, निलॉन नॉलेज पार्क, पहाड़ी विलेज, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई–400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना–(धारा 13(4) के तहत ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ("इसके बाद प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड" कहा गया है) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 21 जनवरी 2026 जारी कर ऋण खाता सं. GS092EEL2424751 के संबंध में, ऋणधारको केडी हॉस्पिटल, प्रोप्राइटर पूनम श्रीवास्तव, पत्नी रवि श्रीवास्तव के माध्यम से, और **सह–ऋणधारकः 1. पूनम श्रीवास्तव, पत्नी रवि श्रीवास्तव, 2. उत्तम श्रीवास्तव, पुत्र हेम नारायण श्रीवास्तव, 3. रवि श्रीवास्तव, पुत्र हेम नारायण** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित 21 जनवरी 2026 तक बकाया राशि **रु. 19,58,855.84/– (रु. उन्नीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ पचपन और चौरासी पैसे मात्र)** वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप–धारा (4) के तहत आज 6 अप्रैल 2026नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 21 जनवरी 2026 तक बकाया राशि रु. 19,58,855.84/– (रु. उन्नीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ पचपन और चौरासी पैसे मात्र) और उस पर आगे के ब्याज, साथ ही लागतों, शुल्कों और खर्चों की वसूली के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्व मे अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक संपत्ति का विवरण

मकान नं. 537बी/025/16, भूमि क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट के साथ, जो प्लॉट नं. 18 पर बना है और खसरा नं. 106 एवं 107 का हिस्सा है, ग्राम– फैजुल्लागंज, वार्ड– फैजुल्लागंज, लखनऊ में स्थित (जिसे इसके बाद "उक्त संपत्ति" कहा जाएगा)। सीमाएं: पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 18अ पर बना मकान (राजू कश्यप), दक्षिणः प्लॉट नं. 19 पर बना मकान (राजेश गुप्ता)

दिनांकः 6 अप्रैल 2026 — **हस्ता./–, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**

उत्कर्ष स्माल फाईनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालयः दूसरी मंजिल, 134 ए पाटलिपुत्र कॉलोनी, पॉलिटेक्निक गेट के सामने पटना–800013

पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221105

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और उनके ऋण को गैर–निष्पादित आस्तियां (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा दिए गए उनके अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं की जानकारी हेतु, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम	एनपीए की तिथि	मांग सचूना की तिथि तक बकाया राशि
1	रायपुर	1400050000006004 और 1400050000006006	श्रीमती अंजना बिस्वास, (ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता), श्री रितेश कुमार सेन, (गारंटर)	05/03/2026	₹ 17,19,799.4/-

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ईडब्ल्यूएस मकान नं. 1663, खसरा नंबर 1253, वार्ड नंबर 26, हाउसिंग बोर्ड थावनी, गांव भिलाई, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़–490026 संपत्ति की सीमाः – पूर्वः ईडब्ल्यूएस 1694, पश्चिमः सड़क, उत्तरः ईडब्ल्यूएस 1664, दक्षिणः सड़क

उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) और/या उनके गारंटरों (जहाँ भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तिथि : 07.04.2026 — हस्ता./–

स्थान : रायपुर — (प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES — सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मोचन सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009

शाखा कार्यालयःएचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है, जिसमें निम्नलिखित ऋण खातों में कंपनी के बकाए की वसूली के लिए **"जहां है जैसा है" और "जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर इसे बेचने का अधिकार शामिल है।

1. उधारकर्ता/ओं और गारंटर/रों का नाम और पता 2. कुल बकाया ब्याज	संपत्ति का विवरण	नोटिस का विवरण
1. सतपाल इलेक्ट्रिक सर्विसेज 1167, बांद्रिका नासिक बक्सी जी की हवालीके पास सुभाष चौक जयपुर–302002 राजस्थान और इसके अलावा– प्लॉट नंबर डी 171 और डी 172 (पुराना प्लॉट नंबर डी 342 और प्लॉट नंबर डी 343 का पश्चिमी भाग भाग) पर भूतल पर फ्लैट नंबर जी01, जयपुर–302017 राजस्थान में स्थित है। 2. सुखवीर 1167, बन्द्रिका नासिक बक्सी जी की हवाली जयपुर–302002 राजस्थान। 3. जानकी कौर 1167, बांद्रिका नासिक बक्सी जी की हवाली जयपुर–302002 राजस्थान। 4. गुरु चरण सिंह (मृत, कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) ए) सतपाल सिंह पुत्र, स्वर्गीय गुरु चरण सिंह(कानूनी उत्तराधिकारी)1167, बंद्रिका नासिक बक्सी जी की हवेली जयपुर–राजस्थान बी) सुखवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय गुरु चरण सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) 1167, बंदिका नासिक बक्सी जी की हवेली जयपुर–302002 राजस्थान। सी) जानकी कौर पत्नी स्वर्गीय गुरु चरण सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) 1167, बांद्रिका नासिक बक्सी जी की हवाली जयपुर–302002 राजस्थान। डी) ज्ञान सिंह पुत्री स्वर्गीय गुरु चरण सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) 1167,बंदिका नासिक बक्सी जी की हवेली जयपुर–302002 राजस्थान ई) निर्मल कौर पुत्री स्वर्गीय गुरु चरण सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) 1167, बंदिका नासिक बक्सी जी की हवेली जयपुर–302002 राजस्थान। दावा की गई राशिः 28.05.2025 तक 16,79,638.30 रुपये (सोलह लाख उन्न्यासी हजार छह सौ अड़तीस रुपये और तीस पैसे मात्र),सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि।	सिद्धार्थ नगर, जवाहर नगर जयपुर, राजस्थान में स्थित प्लॉट संख्या डी–171 और डी–172 (पुराना प्लॉट संख्या डी–342 और प्लॉट संख्या डी–343 का पश्चिमी भाग) पर भूतल पर स्थित फ्लैट संख्या जी–01 का सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट है, श्रीमती जानकी कौर के स्वामित्व में है। इसका पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज संख्या 2013397005280, बुक संख्या 1, खंड संख्या 634, पृष्ठ संख्या 15, दिनांक 28.02.2013 के अनुसार है। इसकी सीमाएँ: उत्तर में प्लॉट संख्या डी–356 और 357, दक्षिण में 40 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व में 40 फुट चौड़ी सड़क और पश्चिम में प्लॉट संख्या डी–342 (पूर्वी भाग)।	**ऋण खाता संख्याः** 3674975 **मांग सूचना दिनांकः** 28–05–2025 **कब्जा सूचना दिनांकः** 25–03–2026
1. सृष्टि क्रिएशन एच1 192 सृष्टि क्रिएशन रीको अपैरल पार्क जगतपुरा जयपुर जयपुर–302017 राजस्थान और प्लॉट नंबर–222, दादू दयाल नगर सी डी सांगानेर जयपुर–302017 में 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर स्कीम 110, 2. गिरधारी सिंह प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिक्शा जगतपुरा ब्लॉक, ग्राम कल्याण नगर, जयपुर जयपुर–302017 राजस्थान। 3. योगेन्द्र सिंह गुर्जर प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिक्शा जगतपुरा जयपुर जयपुर–302017 राजस्थान। 4. कविता गुर्जर, प्लॉट संख्या 31, राम कुटीर, सांगानेर, नरसिंहपुरा, रिक्शा जगतपुरा, जयपुर, जयपुर–302017, राजस्थान, दावा की गई राशिः 11.08.2025 तक 5001498.17/–रुपये (पचास लाख एक हजार चार सौ अट्ठानवे रुपये–सोलह पैसे मात्र),सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज,साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि।	प्लॉट नंबर 222 स्कीम दादू दयाल नगर सी, डी ब्लॉक ग्राम कल्याण नगर सांगानेर जयपुर (राजस्थान) में 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 110 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसकी माप 1600.00 वर्ग फीट है, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है उत्तर– प्लॉट नंबर 223, दक्षिण– प्लॉट नंबर 221, पूर्व– रोड, पश्चिम– प्लॉट नंबर 225।	**ऋण खाता संख्याः** 27593615 **मांग सूचना दिनांकः** 16–08–2025 **कब्जा सूचना दिनांकः** 14–03–2026

उपरोक्त शीर्षक विषय–वस्तु के संदर्भ में, हम आपको सूचित करते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उपरोक्त मांग नोटिस जारी करता है, जिसमें आपसे उक्त मांग नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित बकाया राशि एवं उस पर अतिरिक्त ब्याज को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया जाता है।

हमारा कहना है कि 28–05–2025/16.08.2025 को मांग नोटिस और/या मांग नोटिस की तामील प्राप्त होने के बावजूद आप बकाया राशि का भुगतान करने और/या उक्त नोटिस में निहित मांगों का पालन करने में विफल रहे हैं और उसकी उपेक्षा की है। हमारा कहना है कि उसके बाद 25.03.2026 व 14.03.2026 को प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित और माननीय मुख्य न्यायिक न्यायाधीश न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन जयपुर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–11–2025/20.01.2026 के अनुपालन में उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

हमारा कहना है कि सुरक्षित लेनदार ने उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है और इसके द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति के निपटान के लिए आगे कदम उठाने का इरादा रखते हैं।

यह नोटिस आपको, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में दिया जा रहा है, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार मोचन के अधिकार की अवधि इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी और आपको इसके द्वारा सूचित और अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त अचल संपत्ति ई–नीलामी या निजी संधि के माध्यम से बेची जाएगी।

इन परिस्थितियों में, हम आपसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग, बकाया राशि के साथ–साथ हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने के दौरान किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों या उस पर हुए किसी भी आकस्मिक खर्च का भुगतान बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले करने का आह्वान करते हैं अन्यथा वित्तीय संस्थान नियत तारीख को बंधक संपत्ति बेचने के लिए बाध्य होगा , जिसे कृपया नोट करें।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों की पूर्वोक्त वैधानिक अवधि के भीतर कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं या उपेक्षा करते हैं, तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास उपरोक्त ऋण सुविधा के संबंध में देय एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बकाया बकाया की वसूली के लिए उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह नोटिस हमारे वित्तीय संस्थान के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी किया गया है।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 07.04.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

Protium — प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, ब्लॉक बी2, फेज–1, निलॉन नॉलेज पार्क, पहाड़ी विलेज, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई–400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना–(धारा 13(4) के तहत ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ("इसके बाद प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड" कहा गया है) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 21 जनवरी 2026 जारी कर ऋण खाता सं. GS092EEL2424751 के संबंध में, ऋणधारको केडी हॉस्पिटल, प्रोप्राइटर पूनम श्रीवास्तव, पत्नी रवि श्रीवास्तव के माध्यम से, और **सह–ऋणधारकः 1. पूनम श्रीवास्तव, पत्नी रवि श्रीवास्तव, 2. उत्तम श्रीवास्तव, पुत्र हेम नारायण श्रीवास्तव, 3. रवि श्रीवास्तव, पुत्र हेम नारायण** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित 21 जनवरी 2026 तक बकाया राशि **रु. 19,58,855.84/– (रु. उन्नीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ पचपन और चौरासी पैसे मात्र)** वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप–धारा (4) के तहत आज 6 अप्रैल 2026नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 21 जनवरी 2026 तक बकाया राशि रु. 19,58,855.84/– (रु. उन्नीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ पचपन और चौरासी पैसे मात्र) और उस पर आगे के ब्याज, साथ ही लागतों, शुल्कों और खर्चों की वसूली के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्व मे अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक संपत्ति का विवरण

मकान नं. 537बी/025/16, भूमि क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट के साथ, जो प्लॉट नं. 18 पर बना है और खसरा नं. 106 एवं 107 का हिस्सा है, ग्राम– फैजुल्लागंज, वार्ड– फैजुल्लागंज, लखनऊ में स्थित (जिसे इसके बाद "उक्त संपत्ति" कहा जाएगा)। सीमाएं: पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 18अ पर बना मकान (राजू कश्यप), दक्षिणः प्लॉट नं. 19 पर बना मकान (राजेश गुप्ता)

दिनांकः 6 अप्रैल 2026 — **हस्ता./–, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड — सांकेतिक कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड–380009 **शाखा कार्यालयः** एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह–कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन–देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है :

1) कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि

कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः 1. सुरेंद्र कुमार दिनेश कुमार सहकारी बैंक के पीछे सदर बाजार, नोखा बीकानेर नोखा – 334803 राजस्थान और इसके अलावा – दुकान नंबर 70 के हिस्से का भूतल, सहकारी बैंक के पास, नोखा, जिला बीकानेर नोखा –334803। 2. सुरेंद्र लाल सोनी (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से मृत) ए) मांगी लाल सोनी पुत्र सुरेंद्र लाल सोनी (कानूनी उत्तराधिकारी) वार्ड नंबर 26 जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा– 334803 राजस्थान। बी) दिनेश कुमार सोनी पुत्र सुरेंद्र सोनी (कानूनी उत्तराधिकारी) 1, वार्ड नंबर 26, बागड़ी गेस्ट हाउस के पास, जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा –334803 राजस्थान सी) मोनिका सोनी बेटी सुरेंद्र सोनी (कानूनी उत्तराधिकारी) 1, वार्ड नंबर 26, बागड़ी गेस्ट हाउस के पास, जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा –334803 राजस्थान। डी) नितेश सोनी (कानूनी उत्तराधिकारी) 1, वार्ड नंबर 26, बागरी गेस्ट हाउस के पास, जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा –334803 राजस्थान। 3. संतोष देवी सोनी पत्नी सुरेंद्र लाल सोनी 1, वार्ड नंबर 26, बागड़ी गेस्ट हाउस के पास, जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा –334803 राजस्थान। 4. मांगी लाल सोनी पुत्र सुरेंद्र लाल सोनी वार्ड नंबर 26 जोरावरपुरा, नोखा, बीकानेर नोखा–334803 राजस्थान। **ऋण खाता संख्या** 31285406, **ऋण राशिः** 80,00,000/– **ऋण खाता संख्या** 31285406 द्वारा। **मांग सूचना** दिनांकः 23–01–2026, दावा की गई राशिः रु. 9,025,396.57/– (रुपये नब्बे लाख पच्चीस हजार तीन सौ छियानवे और सत्तावन पैसे मात्र) दिनांक 23.01.2026 तक, और वास्तविक वसूली होने तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का विवरणः** दुकान संख्या 70 के भूतल का वह संपूर्ण भाग, जो को–ऑपरेटिव बैंक के पास, नोखा, ज़िला बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। इसका माप 644.5 वर्ग फुट है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं – पूर्वः दुकान संख्या 70 का शेष भाग; पश्चिमः दुकान संख्या 70 का शेष भाग और दुकान संख्या 69; उत्तरः दुकान संख्या 70 का शेष भाग; दक्षिणः 60 फुट की सड़क। **कब्जे की तिथिः** 02–04–2026

कर्जदारों और सह–कर्जदारों के नामः 1. मैसर्स अमन इंजीनियरिंग वर्क्स 17 हीरे बाड़ी निवारू रोड जोतवाड़ा जयपुर–302012 राजस्थान और साथ ही प्लॉट नंबर 17 का पश्चिमी भाग, हीराबाड़ी–बी, निवारू रोड जयपुर–302012. 2. अशोक कुमार 28 शक्ति नगर निवारू रोड जोतवाड़ा जयपुर जयपुर–302012 राजस्थान। 3. सुनीता पुत्री सहदेव मंडल 28 शक्ति नगर निवारू रोड जोतवाड़ा जयपुर–302012 राजस्थान। 4. सुनीता देवी 28 शक्ति नगर निवारू रोड जोतवाड़ा जयपुर पोस्टः जोतवाड़ा जिलाः जयपुर जयपुर–302012 राजस्थान। **ऋण खाता संख्याः** 26901759, 51063414; **ऋण की राशिः** रु. 33,00,000/– और रु.9,40,000/– (**ऋण खाता संख्या** 26901759, 51063414 के तहत)। **मांग सूचना की तिथिः** 17–01–2026; **दावा की गई राशिः** रु. 4002767.29/– (रुपये चालीस लाख दो हजार सात सौ सड़सठ और उनतीस पैसे मात्र) दिनांक 17.01.2026 तक, और वास्तविक वसूली होने तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ ही अन्य आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का विवरणः** प्लॉट नं. 17, हीराबाड़ी–बी, निवारू रोड, जयपुर के पश्चिमी हिस्से में स्थित संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 92.01 वर्ग मीटर है. इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं – पूर्व – प्लॉट नं. 17 का पूर्व भाग, पश्चिम – प्लॉट नं. 17–ए, उत्तर – रोड 30 फीट, दक्षिण – प्लॉट नं. 12ए, 12, **कब्जे की तिथिः** 01 –04–2026.

कर्जदार और सह–कर्जदार का नामः 1. रियाजुदीन डब्ल्यू ए 3493 हुजुरी तोपखाना टीबीए पुरवियन गोलमदाज की मस्जिद सूरजपोल जयपुर के पास जयपुर – 302003 राजस्थान। 2. अजहरुद्दीन कुरेशी डब्ल्यू ए 3493 हुजूरी तोपखाना तल्बापुरवियन गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर–302003 राजस्थान। 3. नजबुन एम डब्ल्यू ए 3493 हुजूरी तोपखाना टीबा पुरवियान गोलमदाज की मस्जिद सूरजपोल के पास जयपुर जयपुर–302003 राजस्थान। 4. सलाउद्दीन एफ (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से मृत) ए) नजबुन एम (कानूनी उत्तराधिकारी) डब्ल्यू ए 3493 हुजुरी तोपखाना टीबापुरवियन गोलमदाज की मस्जिद सूरजपोल जयपुर के पास जयपुर– 302003 राजस्थान। बी) अजहरुद्दीन कुरेशी (कानूनी उत्तराधिकारी) डब्ल्यू ए 3493 हुजुरी तोपखाना टीबा पुरवियन गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर– 302003 राजस्थान। सी) रियाजुद्दीन (कानूनी उत्तराधिकारी) डब्ल्यू ए 3493 हुजुरी तोपखाना टीबा पुरवियन गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर – 302003 राजस्थान। डी) श्री सलामुद्दीन (कानूनी उत्तराधिकारी) WA3493 हुजुरी तोपखाना टीबापुरवियन गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर–302003 राजस्थान। श्री इमरान (पुत्र)/सुश्री सलमा (कानूनी उत्तराधिकारी)डब्ल्यूए 3493 हुजूरी तोपखाना टीबापुरवियान गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर–302003 राजस्थान। सुश्री अजहरा (कानूनी उत्तराधिकारी) डब्ल्यू ए 3493 हुजुरी तोपखाना टीबा पुरवियन गोलमदाज की मस्जिद के पास सूरजपोल जयपुर जयपुर–302003 राजस्थान। जी) सुश्री अहेरा (कानूनी वारिस) डब्ल्यूए 3493 हुजूरी तोपखाना टिबापुरवियां, गुलामदाज की मस्जिद के पास, सूरजपोल, जयपुर–302003, राजस्थान। एच) सुश्री तबस्सुम (कानूनी वारिस) डब्ल्यूए 3493 हुजूरी तोपखाना टिबापुरवियां, गुलामदाज की मस्जिद के पास, सूरजपोल, जयपुर–302003, राजस्थान। आई) सुश्री हुमा (कानूनी वारिस) डब्ल्यूए 3493 हुजूरी तोपखाना टिबापुरवियां, गुलामदाज की मस्जिद के पास, सूरजपोल, जयपुर–302003, राजस्थान। **ऋण खाता संख्याः** 8051330, **ऋण राशिः** रु. 31,90,000/– (**ऋण खाता संख्या** 8051330 के तहत)। **मांग सूचना की तिथिः** 23–01–2026, **दावा की गई राशिः** रु. 2,746,961.35/– (रुपये सत्ताईस लाख छियालीस हजार नौ सौ इकसठ और पैंतीस पैसे मात्र) दिनांक 23.01.2026 तक, तथा वास्तविक वसूली होने तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ ही अन्य आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का विवरणः** संपत्ति का संपूर्ण भाग, मकान संख्या–3493, पाड़ा कर बोरिंग पर, गुलामदाज की मस्जिद के पास, तोपखाना हुजूरी, सूरजपोल गेट, जयपुर, राजस्थान; मापः 101.95 वर्ग गज; सीमाएं इस प्रकार हैं – पूर्वः गली, पश्चिमः अन्य, उत्तरः अन्य, दक्षिणः सड़क। **कब्जे की तिथिः** 01–04–2026.

कर्जदार और सह–कर्जदार का नामः 1. केजीएन टेक्सटाइल 4215 शिकारियों का मोहल्ला जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002 इसके अलावाः दुकान नंबर 26 फल मंडी जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002 इसके अलावाः दुकान नंबर 12 फल मंडी जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002. 2. हसीनक्यू 4215 शिकारियों का मोहल्ला जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002.3. सायरा बानो 4215 शिकारियों का मौहल्ला जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002. 4. सलीम क्यू 4215 शिकारियों का मोहल्ला जौहरी बाजार जयपुर जयपुर–302002.5. सामी बानो 4215 शिकारियों का मौह